"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2013—चैत्र 13, शक 1935

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-3-62/2008/गृह-दो.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार" का तुरंत प्रभाव से स्थापना करती है, जिसका मुख्यालय रायपुर होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, ओएसडी/सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ-3-62/2008/गृह-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 03-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, ओएसडी/सचिव.

Raipur, the 3rd April 2013

NOTIFICATION

No. F-3-62/2008/Home-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 38 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, establishes "State Police Accountability Authority" having headquarter at Raipur, with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAYA, OSD/Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.